राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1925/2024

प्रियंका शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.06.2024
आदेश की दिनांक : 04.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री मनीष कुमार शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेघ वालों की बस्ती पंचायत समिति, बाडमेर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी 50 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग है और अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर मेघ वालों की बस्ती पंचायत समिति, बाडमेर में कार्यरत है, जो उसके गृह जिले से 850 कि.मी. दूर है। जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 20.08.2020 को तीन विद्यालयों में रिक्त पद पर पदस्थापन के संबंध में प्रतिवेदन दिया। परंतु विभाग द्वारा उस पर कोई निराकरण नहीं किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने पुनः दिनांक 05.02.2024 को अभ्यावेदन दिया, परंतु उसका भी आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को उसके नजदीकी

स्थान पर उसकी दिव्यांगता को एवं आयुक्त द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 20.08.2020 की क्रियान्विति कराते हुये पदस्थापित किया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मेघ वालों की बस्ती पंचायत समिति, बाडमेर में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य